

## जोधपुर

## विद्युत वितरण

## निगम लि०

क्रमांक: जोधपुर डिस्कॉम/अनु-वाणिज्य/पत्रा० 4/प्रे. 99

दिनांक 01.01.2001

## आदेश -14

विषय:- विद्युत चोरी करते पाये जाने पर 11 के०वी० लाईनों के वी०आर० 8 प्रतिशत से अधिक होने पर कनेक्शन नहीं देने के क्रम में ।

मण्डल के आदेश संख्या राराविम/उमुअ/ग्राविनि/अनु-9/प्रे०सं० 51 दिनांक 22-6-2000 आर०ई०ए० 207 के पैरा 15 (अ) के अनुसार सामान्य श्रेणी के आवेदक/गैर आवेदक अगर विद्युत चोरी करते पाये जायेंगे तो उन्हें सामान्य श्रेणी में कनेक्शन नहीं दिया जावेगा । उनका नाम सामान्य श्रेणी की वरीयता से हटा दिया जायेगा परन्तु अगर वो चाहे तो कम्पाउण्ड चार्जज की राशि जमा कराने के पश्चात् स्पेशल स्कीम में कनेक्शन लेने का प्रावधान है । ऐसे कृषकों के 11 के०वी० फीडर पर वी०आर० 8 प्रतिशत से अधिक हो तो उनसे वी०आर० के अतिरिक्त चार्जज लेकर कनेक्शन देने का प्रावधान है ।

इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है कि जिन 11 के०वी० फीडर पर वी०आर० 8 प्रतिशत से अधिक हो, उस पर किसी भी कृषि श्रेणी में कनेक्शन नहीं दिया जावेगा । यह प्रतिबन्ध चोरी पकड़े जाने पर कम्पाउण्ड करने के पश्चात् जारी कनेक्शन पर भी लागू होगा ।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे ।

आज्ञा से

(एन०सी०पुरोहित)

अधिशायी अभियन्ता (वाणिज्य)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है :-

- 1- सचिव, ऊर्जा विभाग, जयपुर
- 2- मुख्य अभियन्ता(वाणिज्य), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर ।
- 3- संभागीय मुख्य अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर ।
- 4- मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर ।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता(शहर/जिला/पवस वृत्त)जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर/पाली/बाड़मेर/बीकानेर/हनुमानगढ़/श्रीगंगानगर/चुरु को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने अधिनस्थ कार्यरत सभी अधिशायी/सहायक अभियन्ताओं को उपरोक्त आदेश की प्रतिलिपि अपने स्तर पर प्रेषित करावें ।
- 6- वरिष्ठ लेखाधिकारी (पवस) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर ।
- 7- उप अधीक्षक पुलिस (सुरक्षा एवं सतर्कता) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- 8- अधिशायी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ/सतर्कता) जोधपुर डिस्कॉम, -----
- 9- लेखाधिकारी (आं०अं०-राजस्व/व्यय) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर ।
- 10- निजी सचिव माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री के सूचनार्थ ।
- 11- प्रावै०सहा० अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

(एन०सी०पुरोहित)

अधिशायी अभियन्ता (वाणिज्य)